तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **भुनेश बनाम नारायण** **149 / 19 (आरसीएमएस नं. 2019 / 00121)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी केवल इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान नही कराया गया है जबकि कानूनन यदि किसी काश्तकार द्वारा वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान नही करवाया गया है तो ऐसी स्थिति में लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर अर्थात उपखण्ड अधिकारी सम्बन्धित तहसीलदार को सीमाज्ञान कराने के आदेश दे सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06. 2019 किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	